त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली

सितम्बर 1994

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
(एयूडब्ल्यूएसपी)

I. योजना

1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)।

II. औचित्य

छोटे शहरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न आर्थिक आधार और राज्य सरकारों द्वारा निम्न प्राथमिकता देने के कारण सामान्य समय के दौरान उन्हें अक्सर उपेक्षित किया जाता हैं और सूखे की अवधि के दौरान सबसे अधिक लोग प्यास से मारे जाते हैं जैसा कि 1987 में देखा गया है। इस प्रकार, 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में पानी की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना शामिल की गयी और इसे वार्षिक योजना 1993-94 से शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

III. उद्देश्य

(i) देश में एक निश्चित समय सीमा के भीतर 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के पूरे लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना।

(ii) पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

(iii) देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अधिक उत्पादकता।

IV. कार्यक्रम की विशेषताएँ

(i) सामान्य तौर पर, क्षेत्र में एक बेहतर प्रोत्साहक माहौल बनाने पर समग्र जोर दिया जा रहा है। नगर निगम के बजट से जल आपूर्ति और स्वच्छता के बजट का पृथक्करण के युक्तिकरण, उचित रूप से अभिज्ञात लक्ष्य समूहों के लिए सब्सिडी दिए जाने, नए पूंजीगत कार्यो में जल संरक्षण, प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) और वितरण को प्राथमिकता देने, रिसाव का पता लगाने और मौजूदा प्रणाली के निवारक अनुरक्षण एवं पुनर्वास पर जोर देने की जरूरत है।

(ii) पानी की आपूर्ति के क्षेत्र को एक सेवा के बजाय सार्वजनिक उपयोगिता के रूप मानना होगा और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश लाने के लिए प्रयास करना होगा।

(iii) कार्यक्रम का सैद्धांतिक उद्देश्य गरीबों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों जैसे महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित वर्गों जिनका सुरक्षित पानी तक पहुँच नहीं है, के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होगा।

(iv) शहरी स्थानीय/निकायों को उपयुक्त रूप से मजबूत बनाया जाएगा और असेवित आबादी के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के कार्यान्वयन में संबद्ध किया जाएगा।

(v) पूरे कार्यक्रम को अंतर्निहित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को मूल सिद्धांत बनाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय और गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों द्वारा विकसित किए गए स्थानीय समुदायों के आयोजन में सामुदायिक भागीदारी लागू करना है।

(vi) इन शहरों में आबादी के लिए महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मूल्यांकित स्थिति के आधार पर शहरों या नगरों में शामिल प्रत्येक योजना के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी।

(vii) योजना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव तथा लागत वसूली के निजीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

(viii) समग्र शहर को शामिल करने के दृष्टिकोण पर जोर दिया जाएगा।

V. कार्यक्रम कार्यान्वयन दृष्टिकोण

कार्यक्रम को संभाव्य पाए जाने पर इसे प्रचालन के तौर पर पानी की आपूर्ति की सुविधा के प्रावधान के लिए राज्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और शहरी स्थानीय निकायों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक इस कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव का प्रश्न है, ऐसे कार्य को करने के लिए एक बार उचित रूप से प्रशिक्षित होने पर इसे स्वयं समुदाय द्वारा ही ऐसी योजना के संचालन और रखरखाव करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तब तक, इसके कार्यान्वयन/शहरी स्थानीय निकाय के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा ही किया जाना चाहिए। अधिमानतः हालांकि, प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर समुदाय क्रियांवयन के दौरान अपनी स्वयं की विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का निर्माण करते समय स्थानीय समुदाय इसके लिए तैयार हो सके और इसे बनाए रखने के लिए सक्षम हो सके।

VI. राज्यों के बीच आवंटन के लिए मानदंड

इस योजना के तहत सहायता के लिए प्रत्येक पात्र राज्य की हिस्सेदारी का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को लागू किया जाएगा:

(क) ऐसे शहरों की आबादी पर 50% वेटेज दिया जा रहा है;

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति पर 35% वेटेज दिया जा रहा है;

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे शहरों की संख्या पर 5% वेटेज दिया जा रहा है;

(घ) डीपीएपी, डीडीपी, एचडीएपी और विशेष श्रेणी पहाड़ी राज्यों के तहत शामिल राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए ऐसे शहरों की जनसंख्या के मामले में 10% वेटेज दिया जा रहा है।

VII. शहरों/योजनाओं के चयन के लिए समिति

कार्यक्रम के तहत शहरों/योजनाओं के चयन के लिए, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ शहरी जल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाएगा:

(क) मुख्य इंजीनियर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, शहरी जल आपूर्ति बोर्ड;

(ख) राज्य सिंचाई विभाग का एक प्रतिनिधि;

(ग) राज्य वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि;

(घ) राज्य योजना विभाग का एक प्रतिनिधि

(ड.) सीपीएचईईओ, एमओयूडी का एक प्रतिनिधि;

(च) निदेशक नगर निगम प्रशासन/शहरी स्थानीय निकाय सदस्य सचिव।

VIII. शहरों/योजनाओं के चयन के लिए दिशा-निर्देश

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग शहरों के संबंध में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस उद्देश्य के लिए गठित केवल राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से शहरों/योजनाओं का चयन किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पूरा की गई निम्न शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा:

(i) 1991 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, भारत के महापंजीयक या संबंधित राज्य के जनगणना संचालन के निदेशक द्वारा प्रकाशित दस्तावेज आधार होंगे।

(ii) पानी के स्रोत की 95% निर्भरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई है।

(iii) खातों के अलग रखरखाव का प्रावधान किया गया है।

(iv) स्थायी ओ एंड एम तंत्र का प्रावधान विकसित किया गया है और डीपीआर में शामिल किया है।

(v) राज्य सरकार द्वारा एक स्थायी टैरिफ प्रणाली विकसित की गयी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी और इसे डीपीआर में शामिल किया गया है।

(vi) परियोजना लागत की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों से 5% योगदान के लिए प्रावधान किया गया है।

(vii) संस्थागत और टैरिफ तंत्र में सुधार सहित सभी शर्तों के लिए शहरी स्थानीय निकाय की प्रतिबद्धता, उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से रखरखाव के लिए उनकी तैयारी प्राप्त की जानी चाहिए और डीपीआर में शामिल की जानी चाहिए।

यदि इन शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं किया जाता है और डीपीआर में शामिल नहीं किया जाता हैं, तो योजना कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

IX. विशेष समस्याओं वाले शहरों के लिए प्राथमिकताएं

विशेष समस्याओं वाले शहरों को प्राथमिकता दी जानी है, जैसे

(क) प्रति व्यक्ति बहुत कम आपूर्ति;

(ख) बहुत दूर या गहरे पानी के स्रोत;

(ग) सूखा प्रभावित क्षेत्र;

(घ) पानी के स्रोत में अतिरिक्त लवणता, फ्लोराइड, लौह सामग्री;

(ङ) पानी जनित रोगों की उच्च घटना।

इस प्रयोजन के लिए सुझाव है कि राज्यों द्वारा सर्व प्रथम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले इन विशेष समस्या वाले शहरों की सूची तैयार की जाए। उसी प्रकार, नई योजनाओं के बजाय पुनर्वास और संवर्धन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ चयनित शहरों की डीपीआर शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाए। (प्रारूप अलग से निर्धारित किया जाएगा)।

प्रति व्यक्ति इकाई लागत

प्रति व्यक्ति इकाई लागत सामान्य रूप से 1000/- रुपए तक ही सीमित होनी चाहिए। हालांकि, इसका सख्ती से पालन करना जरूरी नहीं है। अगर प्रति व्यक्ति लागत अधिक है तो अलग-अलग मामलों में, डीपीआर में विशिष्ट औचित्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

X. वित्तपोषण पद्धति

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना होने के कारण त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को अनुदान आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा। 5% लाभार्थी/शहर योगदान सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा 50% और राज्य सरकार द्वारा 50%। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्र सरकार से 100% वित्त पोषण उपलब्ध है।

XI. धनराशि जारी करना

चयनित योजना की अनुमानित लागत केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जानी है। तदनुसार, योजना का चयन होने पर केन्द्रीय हिस्से का 25% भाग राज्य सरकार या नामित एजेंसी को जारी किया जाएगा। केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त जो इस योजना के लिए पात्र केन्द्रीय हिस्से का 50% होगी, उसे निम्नानसुार जारी की जाएगी:-

- राज्य के हिस्से की पहली किस्त जारी करना;
- अनुबंध देने या सामग्री की आपूर्ति के लिए आदेश देने आदि जहां कहीं भी आवश्यक हो, सहित योजना के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी कार्य पूरा होने पर, और
- योजना के लिए जारी की गई राशि का कम से कम 50% का उपयोग होने पर (केन्द्रीय हिस्से का 25% और राज्य सरकार के हिस्से का 25%);
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा डीपीआर की प्राप्ति से पहले पहली किस्त जारी होने के मामले में इसकी मंजूरी होने पर।
- केन्द्रीय हिस्से के 25% तक की राशि की तीसरी और अंतिम किस्त निम्नानुसार जारी की जाएगी:

(क) राज्य सरकार के हिस्से की दूसरी किस्त जारी होने पर (50%)

(ख) योजना के लिए जारी की गई कुल धनराशि का 80% उपयोग होने पर।

XII. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उचित औचित्य/इसके समर्थन में आंकड़ों के साथ निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए:

i) पानी के स्रोत (स्रोतों) की विश्वसनीयता

- संबंधित राज्य विभाग द्वारा चयनित कच्चे पानी के स्रोत (स्रोतों) की 95% निर्भरता और विश्वसनीयता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि 70 आईईपीडी की दर पर 20-25 साल की

निर्धारित डिजाइन की गई अवधि में इस योजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में साक्ष्य का समर्थन डीपीआर में शामिल किया जाना चाहिए।

ii) उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग

- उपयुक्त और लागत प्रभावी तकनीकों अर्थात क्षैतिज रफिंग फिल्टर (एचआरएफ) को अपनाने का प्रयास किया जाए। धीमा रेत फ़िल्टर (एसएसएफ) आदि ताकि पूंजी के साथ ही प्रचालन और रखरखाव पर निम्नतम व्यय प्राप्त किया जा सके। हालांकि, पाईप युक्त जलापूर्ति योजनाओं की तुलना में अपर्याप्त और अल्पकालिक स्थिरता स्पॉट स्रोत जैसे हैंड पम्प आदि की अनुमति नहीं है।
- जहां तक संभव हो, योजना में कम से कम बिजली और यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए।
- जहां आवश्यक हो, योजना के क्रियान्वयन में देरी से बचने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए।
- जहां कहीं भी ओ एंड एम के लिए इलेक्ट्रिकल बिजली की आपूर्ति आवश्यक हो, जब परियोजना शुरू करने के लिए तैयार हो तो इसे सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य एजेंसी के साथ कार्रवाई शुरू की जाए।

iii) विस्तृत अनुमान में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- सभी घटकों का विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन।
- प्रत्येक घटक का संक्षिप्त अनुमान दरों के नवीनतम अनुसूची के आधार पर तैयार हो।
- अनुमान में अधिकतम 3% तक स्थापना प्रभार और 5% तक आकस्मिक प्रभार शामिल किया जाए। कोई अन्य शुल्क अर्थात टी एंड पी, प्रतिशतता आदि शामिल नहीं किया जाए क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास ऐसी जलापूर्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है। यदि ऐसे व्यय की अभी भी जरूरत हो तो इसे केवल राज्य कोष से ही पूरा किया जाएगा।

iv) प्रतिरूप वित्तपोषण

- जैसा कि पहले से ही कहा गया है, राज्य सरकारों को राज्य योजना के तहत अनुदान के रूप में मैचिंग हिस्सा प्रदान करना होगा और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए क्रियांवयन एजेंसियों को समय पर वित्तपोषण सुनिश्चित करना होगा।

V) शुल्क संरचना

- उचित शुल्क टैरिफ संरचना विकसित की जाए और डीपीआर में शामिल की जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को पर्याप्त लागत वसूली सुनिश्चित करना चाहिए ताकि प्रस्तावित

तंत्र के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ-साथ डीपीआर में विकसित और दर्शाए गए शुल्क संरचना के अनुसार प्रस्तावित योजनाओं के वार्षिक ओ एंड एम को पूरा किया जा सके।

राज्य सरकार को वर्तमान आपूर्ति के आधार पर लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के उपयुक्त पानी का शुल्क लगाए जाने की पुष्टि करनी चाहिए।

vi) कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसियां और ओ एंड एम

- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसी और इसके आगामी ओ एंड एम के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।
- जहां तक संभव हो, योजना स्तर से ओ एंड एम तक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी एजेंसियों की भागीदारी का पता लगाया जाए और इस पर वेटेज दिया जाए।

vii) स्थायी आधार पर संचालन और रखरखाव के लिए कार्य योजना कार्यक्रम

- डीपीआर में स्पष्ट रूप से लागत वसूली, सामुदायिक भागीदारी, गुणवत्ता नियंत्रण और मानव संसाधन विकास के लिए कार्रवाई की योजना दर्शाते हुए योजनाओं के समुचित ओ एंड एम के लिए एक विस्तृत कार्य योजना शामिल की जाए।

XIII. अलग खातों का रखरखाव किया जाना

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य दोनों जारी की गई धनराशि के लिए अलग-अलग खातों का रखरखाव किया जाएगा। इस कार्यक्रम से किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए धनराशि के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। उसी प्रकार, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी विशेष योजना/शहर के लिए जारी की गई धनराशि को किसी भी अन्य योजना/शहर के लिए परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है।

XIV. योजनाओं की निगरानी

- शहरी विकास मंत्रालय तिमाही आधार पर प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करेगा जिसके लिए राज्य/कर्यान्वयन एजेंसी को परिचालित करने हेतु उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
- समुचित निगरानी की सुविधा के लिए योजना-वार अलग-अलग लेखाओं का रखरखाव किया जाना चाहिए।

- राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ साइट का दौरा और विचार विमर्श के माध्यम से सीपीएचईईओ/मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वास्तविक और वित्तीय निगरानी की जाएगी।